

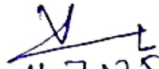
आदेश फलक

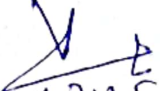
आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर विविध (जमाबंदी) वाद सं०-21/2025-26 बनाम भास्कर महाकुड, पिता- स्व० रामचन्द्र महाकुड, ग्राम-कंटामनी, मझगाँव।	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिपण्णी, तारीख सहित
16-04-2025	<u>आदेश</u> आवेदक भास्कर महाकुड, पिता- स्व० रामचन्द्र महाकुड, ग्राम-कंटामनी, थाना-मझगाँव के आवेदन के आलोक में इस अभिलेख की कार्रवाई प्रारंभ की गयी। आवेदक के आवेदन के अनुसार उनके नाम से मौजा-चतरीसाई, थाना नं० 362, खाता सं० 69, प्लॉट सं० 91, रकवा 20 डी० जमीन रजिस्टर-II में ऑनलाइन दर्ज करने का अनुरोध किया है। आवेदक भास्कर महाकुड ने अपने आवेदन के साथ बिक्री दलील सं० 1635, दिनांक 02.07.1992 की छायाप्रति, नामांतरण वाद सं० 144/2002-03 के शुद्धिपत्र की छायाप्रति एवं लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न किया है। आवेदन एवं संलग्न कागजातों के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की माँग की गई जिनका प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा-चतरीसाई, थाना नं० 362, खाता सं० 69, प्लॉट सं० 91, कुल रकवा-0.300 एकड़ भूमि हाल सर्वे खतियान एवं पंजी II में डमरूधर ग्वाला, सुदर्शन ग्वाला तथा युधिष्ठिर ग्वाला, पिता-पदु ग्वाला के नाम पर दर्ज है जिसका जमाबंदी भाग सं० 1 पृष्ठ सं० 50 में दर्ज है। आवेदित भूमि को आवेदक ने बिक्री केवाला सं० 1635, दिनांक 02.07.1992 के तहत ना० मु० सं० 144/2002-03 द्वारा मौजा-चतरीसाई, थाना नं० 362, खाता सं० 69, प्लॉट सं० 91, रकवा-0.20 एकड़ भूमि अपने नाम पर नामांतरण करवा लिया है तथा उक्त क्रय भू-खण्ड का वार्षिक भू-लगान वर्ष 2024-25 तक भुगतान किया गया है। आवेदक द्वारा संलग्न सभी कागजातों का अवलोकन राजस्व दस्तावेज से किया तथा सही पाया। आवेदित भू-खण्ड का स्थलीय जाँच किया तथा पाया कि क्रय किए गए भू-खण्ड पर क्रेता का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अतः आवेदित भू-खण्ड को क्रेता के नाम पर ऑनलाइन पंजी II में प्रविष्टि किया जा सकता है। प्रधान सहायक ने प्रतिवेदित किया है कि अंचल कार्यालय के पंजी 27 से आवेदक द्वारा संलग्न शुद्धि पत्र का छायाप्रति से मिलान किया, केस नं० 144/2002-03 का नामांतरण स्वीकृत है। आम इश्तेहार का तामिला कराया गया। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा प्रधान सहायक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक भास्कर महाकुड, पिता- स्व० रामचन्द्र महाकुड ने बिक्री दलील सं० 1635, दिनांक 02.07.1992 के द्वारा विक्रेता- युधिष्ठिर ग्वाला, पिता-पोदु ग्वाला, ग्राम-चतरीसाई, थाना-मझगाँव से मौजा-चतरीसाई, खाता सं० 69, प्लॉट सं० 91, रकवा- 0.20 एकड़ भूमि	

क्रय किया है जिसका नामांतरण मु०सं०-144/2002-03 द्वारा नामांतरण स्वीकृत है और क्रेता के नाम से मुण्डा द्वारा लगान रसीद निर्गत है। अतः उक्त आलोक में आवेदित भूमि को आवेदक भारकर महाकुड़, पिता- स्व० रामचन्द्र महाकुड़ के नाम से ऑनलाइन प्रविष्ट करने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ऑनलाइन पंजी II के पृष्ठ सं० 50 भाग सं० 01 में मूल रैयत डमरूधर ग्वाला, सुदर्शन ग्वाला तथा युधिष्ठिर ग्वाला, पिता-पदु ग्वाला की जमाबंदी से खाता सं० 69, प्लॉट सं० 91 के कुल रकवा 0.30 एकड़ मधे रकवा 0.20 एकड़ को घटाकर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

1/2.

लेखापित एवं
संशोधित


16.7.25
अंचल अधिकारी,
मझगाँव।


16.7.25
अंचल अधिकारी,
मझगाँव।